महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – वानबेवां संस्करण (माह फरवरी, 2024)

➔ "पहल" के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. स्वामित्व योजना एक परिचय
3. माननीय मंत्री, श्री प्रहलाद सिंह पटैल की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक
4. जनपद पंचायत की स्थायी समितियों द्वारा कामकाज संचालन प्रकिया
5. ऑडिट आनलाईन में आपत्तियों के निराकरण के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण
6. स्वच्छता से स्वास्थ्य
7. ग्राम पंचायत सूरजपुरा – विकास की ओर बढ़ते हुये अनुठें कदम
8. कम समय में बड़ा मुनाफा
9. आयुष्मान भारत (निरामय) योजना में सराहनीय कार्य
10. गरीबी उन्मूलन में स्वच्छ भारत मिशन की भूमिका

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्री एस.के. सचान,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का वानबेवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2024 का द्वितीय मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री, माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटैल जी की अध्यक्षता में दिनांक 24 जनवरी 2024 को मंत्रालय भोपाल में विभागीय समीक्षा बैठक हुई। जिसे **''माननीय मंत्री, श्री प्रहलाद सिंह पटैल की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक''** तथा पंचायतराज संचालनालय म.प्र.शासन भोपाल द्वारा ऑडिट आनलाईन पोर्टल पर विकसित ए.टी.आर माड्यूल पर जिला स्तरीय अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 29 से 30 जनवरी 2024 तक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में आयोजित किया गया । जिसे **''ऑडिट आनलाईन में आपत्तियों के निराकरण के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण''** समाचार आलेखों के रूप में शामिल किया गया है।

इसे साथ–साथ संस्करण में **''स्वामित्व योजना एक परिचय''**, **''जनपद पंचायत की स्थायी समितियों द्वारा कामकाज संचालन प्रकिया''**, **''स्वच्छता से स्वास्थ्य''**, **''ग्राम पंचायत सूरजपुरा – विकास की ओर बढ़ते हुये अनुठें कदम''**, **''कम समय में बड़ा मुनाफा''**, **''आयुष्मान भारत (निरामय) योजना में सराहनीय कार्य''** एवं **''गरीबी उन्मूलन में स्वच्छ भारत मिशन की भूमिका''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

स्वामित्व योजना एक परिचय

भारत सरकार ने केंन्दीय क्षेत्र की योजना ''स्वामित्व'' का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया है।यह योजना पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj), राज्यों के पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department), राज्य विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Servey of India), के सहयोग से चलाई जा रही है।

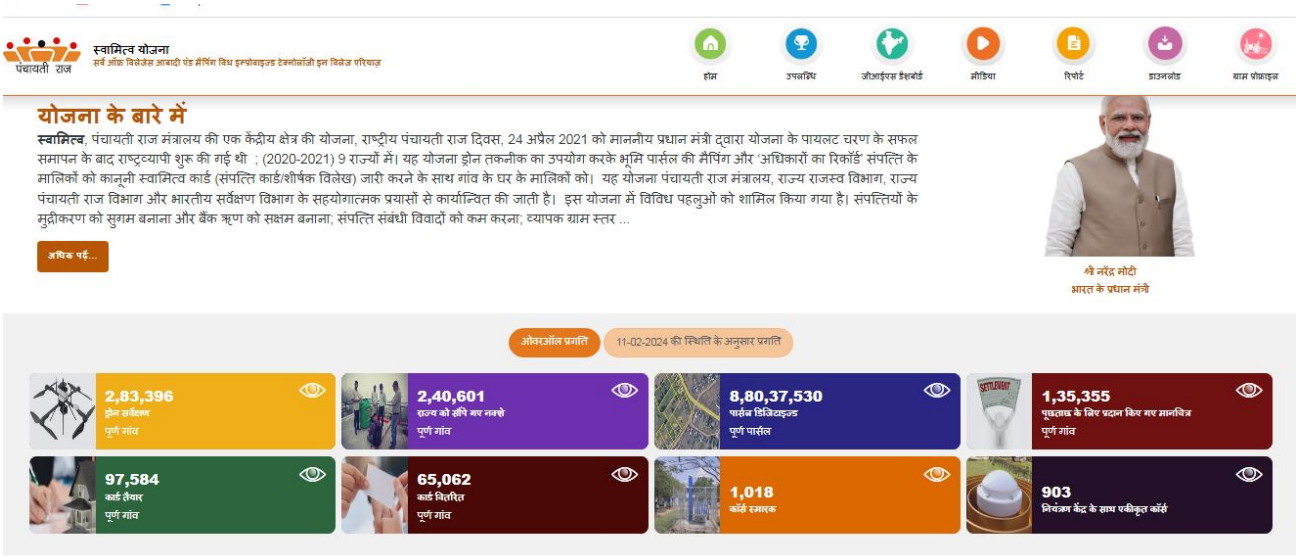

इस योजना के तहत ड्रोन (Drone) और अन्य नवीनतम तकनीकी की सहायता से रिहाइषी भूमि का सीमांकन कर ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत संपत्ति सत्यापन (Integrated Property Validation) की एक व्यवस्था स्थापित की जाएगी।इसके तहत गॉव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप नक्षा बनाया जाएगा और प्रत्येक राजस्व खंड की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में रहने वाले गांव के गृहस्वामियों को 'अधिकार अभिलेख' उपलब्ध कराया जाएगा, जो उन्हें बैंकों से ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा, यह ग्राम पंचायतों की कर संग्रह और मांग मूल्यांकन प्रक्रिया का सुदृढ़ बनाने के लिए संपत्ति अैर परिसंपत्ति रजिस्टर के अपडेषन को भी सक्षम करेगा। इस प्रकार, संपत्ति धारकों का कानूनी रिकॉर्ड और उनके आधार पर गृहस्वामियों को 'संपत्ति अभिलेख' जारी करने से ऋण

और अन्य वित्तीय सेवाओं की खरीद के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों का मौद्रिकीकरण सुविधाजनक बनेगा। यह संपत्ति कर के स्पष्ट निर्धारण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां ये विकसित हैं।

व्यक्तिगत ग्रामीण संपत्ति के सीमांकन के अलावा, अन्य ग्राम पंचायत और सामुदायिक संपत्ति जैसे गांव की सड़कें, तलाब, नहरें, खुले स्थान, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य उप–केंन्द्र आदि का भी सर्वेक्षण किया जाएगा और जीआईएस मानचित्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा, ये जीआईएस नक्शे और स्थानिक डेटाबेस ग्राम पंचायतों और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यो के लिए सटीक कार्य अनुमान तैयार करने में भी मदद करेंगे। इनका उपयोग बेहतर–गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है।

स्वामित्व योजना के उद्धेश्य

1. प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाते हुए उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करना।
2. ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना।
3. संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त हेागा जहां ये विकसित हैं या, राज्य कोषागार को प्राप्त का अध्ययन करना।
4. सर्वेक्षण की अवसंरचना और जीआईएस नक्षों का निर्माण जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए किया जाना ।
5. जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहयोग देना।
6. संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों का अध्ययन करना।
7. ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।

योजना कियान्वयन की प्रकियाः

- इस योजना के तहत सबसे पहले वन्य क्षेत्र व कृषि भूमि से आबादी के इलाके को अलग करते हुए आबादी वाले क्षेत्र नक्शे/मानचित्र पर चिन्हित किया जाएगा।
- इसके बाद इस सीमा के अंदर सभी संपत्तियों को उनके मालिकों की पहचान के साथ चिन्हित किया जाएगा।
- इस प्रक्रिया में पंचायतों और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है।

- इस प्रक्रिया के दौरान कर विभाग के अधिकारियों के सहयोग से तकनीकी चुनौतियों (ड्रोन से सही तस्वीर न आना आदि) या पुराने विवादों जैसे मुद्दों का समाधान किया जाएगा।
- इस प्रक्रिया के उपरांत तैयार किये गए मालिकाना प्रमाण पत्र (टाइटिल डीड) को संपत्ति मालिकों को दिया जा सकेगा।
- इस योजना को पहले चरण में प्रायोगिक (पायलट) रूप में दश के 6 राज्यों (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र) के लगभग 1 लाख गॉवों में लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य :–

देश की 60 प्रतिशत् आवादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ज्यादातर लोगो के पास उनकी संपत्ति के स्वामित्व दस्तावेज नहीं हैं, वर्तमान में, वर्ष 2020–21 के लिए पायलट चरण का अनुमोदन किया गया है। पायलट चरण लगभग छह प्रमुख राज्यों (हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) में लगभग 1 लाख गांवों तक विस्तारित होगा।

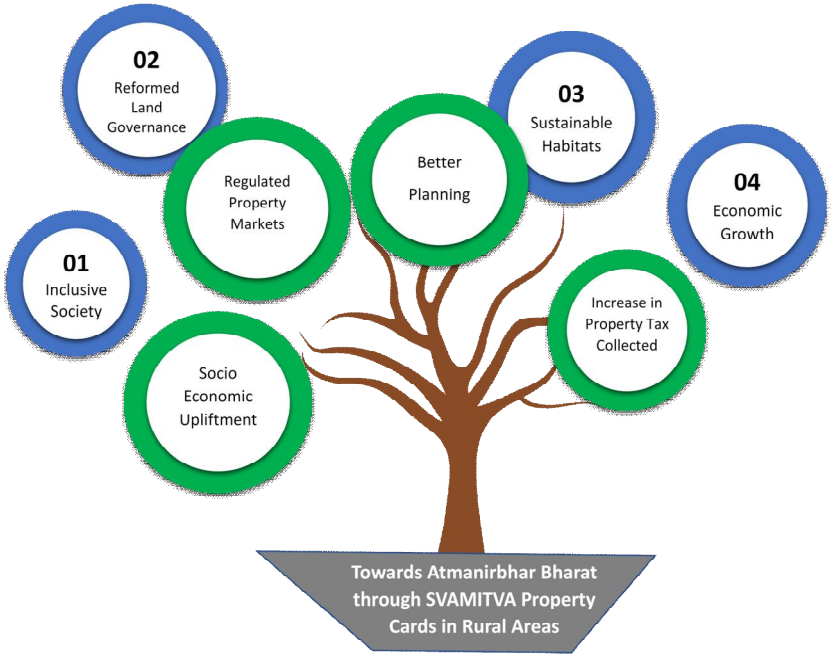

राज्य स्तर पर लक्ष्य :–

मध्य प्रदेश, के 55100 गांव में से 1000 गांव प्रथम पायलट चरण के लिए अनुमोदन किया गया है।

पंकज राय
संकाय सदस्य

माननीय मंत्री, श्री प्रहलाद सिंह पटैल की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री, माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटैल जी ने दिनांक 24 जनवरी 2024 को मंत्रालय भोपाल में विभागीय समीक्षा करते हुए कहा कि पंचायतराज में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिये जरूरी है कि उनकी आमदनी के स्रोत वे स्वयं जनरेट करें। उन्होंने पंचायतों के सशक्तिकरण के लिये किये गये कार्यों की जानकारी प्राप्त की एवं बैठक में पंचायतों को आत्म–निर्भर बनाने के सभी प्रयासों पर भी चर्चा हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

माननीय मंत्री श्री पटेल जी ने कहा कि पंचायतों में आय के बेहतर स्रोत सृजित हो इस पर जोर देते हुये निर्देशित किया कि पंचायतों में मौजूद परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो तथा इनका उपयोग कर रोजगार के साधन तैयार किये जा सकते हैं, जिनसे पंचायतों को आमदनी हो। माननीय मंत्री श्री पटेल जी ने विभिन्न नगरों और शहरों की सीमाओं से जुड़ी हुई पंचायतों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिये।

माननीय मंत्री श्री पटेल जी ने ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में पंचायतों को सशक्त बनाने एवं पंचायतों में इसके लिये मौजूदा संसाधनों को अपग्रेड करने को भी कहा है। माननीय मंत्री श्री पटेल जी ने कहा कि पंचायतों में ही ग्रामीणों को आधार, आयुष्मान और डिजी लॉकर के अतिरिक्त और कौन सी सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं या हमें देना चाहिये और जो हम नहीं दे पा रहे, उसकी पड़ताल कर दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिये।

ग्रामीणों को पंचायत में ही सुविधाओं संबंधी समस्त जानकारी और सहयोग मिलने चाहिये। पंचायत में आने के बाद अन्य किसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये।

माननीय मंत्री श्री पटेल जी ने मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विभाग अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों के अपग्रेडेशन के लिये निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण केन्द्रों के परिसरों, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षणार्थियों और प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत अमले की समुचित जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

माननीय मंत्री श्री पटेल जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के अच्छे उत्पादों की विकासखण्ड स्तर पर मॉनिटरिंग संबंधी व्यवस्था की पड़ताल की। उन्होंने इन उत्पादों की पहचान के साथ उनकी बिक्री संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी चाही। बैठक में पेसा एक्ट, 15वें वित्त आयोग, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, गौशाला, खेल मैदान और पंचायत राज पोर्टल को सशक्त बनाने संबंधी निर्देश भी दिये गये।

जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर

जनपद पंचायत की स्थायी समितियों द्वारा कामकाज संचालन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश के पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में प्रत्येक जनपद पंचायत अपने निर्वाचित सदस्यों में से सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, संचार तथा संकर्म समिति, सहकारिता और उद्योग समिति, स्वास्थ्य,महिला एवं बाल कल्याण समिति, तथा वन समिति का गठन करने का प्रावधान है। इन स्थाई समितियों के विषय, स्थाई समिति के पदाधिकारी, स्थाई समिति की शक्तियां एवं कार्य, पदावधि और कामकाज के संचालक की प्रक्रिया के साथ ही साथ स्थाई समिति के सचिव की भूमिका इस लेख में दी गई है।

जनपद पंचायत की स्थाई समितियों के विषय निम्नानुसार हैं :–

(1) सामान्य प्रशासन समिति

जनपद पंचायत की स्थापना और सेवाओं, प्रशासन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, योजना, बजट लेखे, कराधान, श्रम, जनशक्ति नियोजन, बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओलावृष्टि, दुर्भिक्ष, टिड्डी दल तथा अन्य आपातिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं से राहत, बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कियान्वयन, अन्य वित्तीय मामले और वे विषय जो अन्य किसी समिति को नहीं सौंपे गये है।

(2) कृषि समिति के विषय

कृषि, भूराजस्व तथा पशुपालन, विद्युत शक्ति, कृष्यकरण जिसमें मृदा संरक्षण और समोच्य वंधान (कंटूर वंडिंग) सम्मिलित हैं, के लिए और मत्स्यपालन, कम्पोस्ट खाद बनाने, बीज वितरण , कृषि एवं पशुधन विकास से संबंधित अन्य विषय

(3) शिक्षा समिति के विषय

शिक्षा के लिये जिसमें प्रौढ़ शिक्षा सम्मिलित है, निःशक्तों एवं निराश्रितों के सामाजिक कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, मद्य त्याग या मद्य निषेध, आदिम जाति तथा पिछड़े वर्ग व हरिजन कल्याण, खेलकूद एवं युवक कल्याण

(4) संचार तथा संकर्म समिति के विषय

संचार, लघु सिंचाई, ग्रामीण गृह निर्माण एवं अन्य लोक संकर्म

(5) सहकारिता और उद्योग समिति के विषय

सहकारिता, मितव्ययता और अल्प बचत, कुटीर तथा ग्रामोद्योग, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, बाजार एवं सांख्यिकी

(6) स्वास्थ्य,महिला एवं बाल कल्याण समिति के विषय

लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण जल प्रदाय तथा जल निकास

(7) वन समिति के विषय

सामाजिक वानिकी, एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय उद्यान, लघु वनोपज का विकास, अन्य वानिकी कार्यक्रम

अन्य समितियों का गठन

इन समितियों के अतिरिक्त जनपद पंचायत कलेक्टर / अतिरिक्त कलेक्टर के अनुमोदन अधिक समितियों का भी गठन कर सकती हैं। जनपद पंचायत द्वारा उक्तानुसार विहित प्राधिकारियों के अनुमोदन से अपनी समितियों विषयों को पुनः आवंटित या अतिरिक्त विषय सौंप सकती है।

स्थायी समिति के पदाधिकारी

- प्रत्येक स्थायी समिति में कम से कम 5 तथा अधिकतम 10 सदस्य होंगे (सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर)।
- सामान्य प्रशासन समिति तथा शिक्षा समिति के सभापति यथास्थिति जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होंगे, तथा ये अन्य किसी समिति के सदस्य नहीं होंगे।
- जनपद पंचायत का कोई भी सदस्य अधिकतम् 3 समितियों का सदस्य हो सकेगा। ऐसे विधानसभा के सदस्य जो कि जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे उस जनपद पंचायत की प्रत्येक स्थायी समिति के भी पदेन सदस्य होंगे।

- कोई भी समिति उसको सौंपे गये विषयों के अधिकतम दो विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगी, इन्हें स्थायी समिति की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- शिक्षा समिति के सदस्यों में कम से कम एक महिला तथा अनुसूचित जाति या जनजाति का एक व्यक्ति होगा।

स्थाई समिति की शक्तियां

स्थाई समिति को सौपें गए विषयों से संबंधित निम्न शक्तियां होगीं ।

- जनपद पंचायत की शक्ति के अनुसार कागज पत्रों , दस्तावेजों तथा जानकारी बुलाना
- बजट के अनुसार व्यय उपगत करना
- मदों का पुर्नविनियोजन
- बजट तैयार करना

स्थाई समिति के कार्य

- जनपद पंचायत के कार्य जो अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 एवं धारा 52 की उपधारा 1 में उल्लेखित हैं ।

- इसके कार्यक्षेत्र में आने वाली स्कीमों या कार्यक्रमों के बारे में तिमाही प्रगति रिर्पोट तैयार करना तथा उसे जनपद पचांयत को 30जून, 30 सितम्बर और 31 मार्च तक प्रस्तुत करना ।
- उपगत किए गए व्ययों का लेखा बनाए रखना ।

पदावधि और कामकाज के संचालक की प्रक्रिया

- स्थायी समिति के सभापति तथा सदस्यों की पदावधी वही होगी जो यथा स्थिती जनपद पंचायत की है।
- यदि कोई व्यक्ति जनपद पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता तो वह स्थाई समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा ।
- स्थाई समिति का सभापति जितनी बारे भी आवश्यक हो उतनी बार बैठक बुला सकता है किन्तु प्रत्येक माह में एक बार बैठक बुलाना जरूरी है।
- स्थाई समिति के कम से कम तीन सदस्य लिखित में मांग करने पर बैठक बुलाई जावेगी। इस प्रकार की मांग किए जाने के 10 दिन में बैठक नहीं बुलाई जाती तो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसी बैठक बुला सकते हैं।
- बैठक में स्थाई समिति के आधे सदस्यों की उपस्थिती जरूरी है।
- कोरम पूरा न होने पर बैठक स्थगित कर दी जावेगी और पुनः बैठक बुलाई जावेगी जिसमें गणपूर्ति की जरूरत नही होगी।
- बैठकों की अध्यक्षता उस स्थाई समिति के सभापति करेगें।
- किसी कारण से सभापति बैठक नहीं आ पाते तो उपस्थित सदस्यों में से किसी सदस्य को अध्यक्षता के लिए चुन लिया जावेगा।
- स्थाई समिति की बैठक में जो भी निर्णय लिये जावेगें उन्हें कार्यवृत्त पंजी में लिखा जावेगा। कार्यवृत की प्रतियां जिला पंचायत को भेजी जावेगीं।
- कोई भी विषय जिस का निपटारा अंतिम रूप से कर दिया गया हो उस पर पुनर्विचार आगामी छह माह तक नहीं किया जावेगा।
- ऐसे विषय पर पुनर्विचार के लिए जनपद पंचायत के तीन चौथाई सदस्य चाहे अथवा कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये जाने पर किया जा सकता है।

स्थाई समिति सचिव की भूमिका

सामान्य प्रशासन समिति का सचिव जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन होगें। अन्य स्थाई समितियों के सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ठ अधिकारी होगें।

संदर्भ स्त्रोत – म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 47, म.प्र. जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियॉ (सदस्यों का निर्वाचन, उनकी शक्तियॉ और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया, 1994)

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

ऑडिट आनलाईन में आपत्तियों के निराकरण के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण

पंचायतराज संचालनालय म.प्र. शासन भोपाल द्वारा ऑडिट आनलाईन पोर्टल पर विकसित ए.टी.आर माड्यूल पर जिला स्तरीय अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 29.01.2024 से 30.01.2024 तक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में आयोजित किया गया ।

प्रशिक्षण में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र नई दिल्ली के उप महानिदेशक श्री सुनील जैन एवं उनके सहयोगी अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री विराग त्यागी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के ऑडिट में आने वाली आपत्तियों के ऑनलाईन निराकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई ।

प्रशिक्षण में स्थानीय निधि संपरीक्षा के संयुक्त संचालक श्री अनिल गर्ग तथा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रषिक्षण केन्द्र के संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर द्वारा मार्गदर्शन दिया गया । प्रशिक्षण में इन्दौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों के सांथ–सांथ राजगढ, सीहोर, गुना, शिवपुरी, अषोकनगर, हरदा , बैतुल एवं नर्मदापुरम जिले के स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं जिला पंचायत के अधिकारियों ने भाग लिया । प्रषिक्षण सत्र का संचालन श्री शिव कुमार सिंह कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं श्री राजेन्द्र जोशी संकाय सदस्य द्वारा किया गया । आभार श्री रोहित पचौरी विकासखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया एवं प्रशिक्षण सत्र का समापन किया गया ।

चंद्रेश कुमार लाड़
संकाय सदस्य

स्वच्छता से स्वास्थ्य

ग्रामीण क्षेत्र में प्रायः यह देखने में आया है कि हैण्डपम्प, कुआॅ नदी आदि के पानी का उपयोग किया जाता है। जिस पानी में फ्लोराइट होता है वह पानी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। पानी को स्वच्छ कपड़े से छानकर एवं उबालकर पीना चाहिए तथा फिटकरी से साफ करके भी उपयोग में लाया जा सकता है। पानी को खुले में नहीं ढककर रखना चाहिए पानी निकालने के लिये ढडडी वाले लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा परिवार स्वस्थ्य रहेगा।

शौच के बाद हाथ को साबुन से या राख और मिट्टी से रगड़कर धोना चाहिऐ म.प्र. शासन द्वारा स्वच्छता एवं पोषण आहर के संबंध में महिलाओं को जागरूक करने के लिये आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं जिसमें बच्चों एवं महिलाओं को हाथ धोने के तरीके और पोषण आहार के संबंध में अवगत कराया जाता है।

आंगनवाड़ी में गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को आयरन और विटामिन की गोलियों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। नियमित स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है, तथा मंगल दिवस भी मनाया जाता है। ग्रामीण क्षैत्र में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा घर–घर शौचालय निर्माण के साथ ही शौचालय के उपयोग के लिये प्रेरित किया जा रहा है तथा प्रत्येक परिवार को शौचालय का उपयोग करने के लिये जागरूक किया जा रहा है। ग्राम सगंठन एवं संकुल संगठन शौचालय निर्माण करने व निर्माण किये गये शौचालय का प्रत्येक परिवार द्वारा उपयोग किये जाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं के लिये सेनेटरी पेड की आवश्यकता एवं उसके महत्व को समझाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश महिलायें माहवारी के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती है जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है और विवाहित महिलाएं और किशोरी बालिकाएं बीमार होती है एवं अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है इसलिये सेनेटरी पैड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

सोच में बदलाव/व्यवहार में परिवर्तन

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वे में यह पाया गया है कि स्वच्छता से स्वस्थता के आयाम स्थापित करने के लिये हमकों ग्रामवासियों की सोच में बदलाव तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है हम जितना अधिक स्वच्छता के लिये उनके व्यवहार में परिवर्तन करेगें उतना ही अधिक स्वस्थ रहेगें।

चंद्रेश कुमार लाड़,
संकाय सदस्य

ग्राम पंचायत सूरजपुरा – विकास की ओर बढ़ते हुये अनुठें कदम

यह वाक्या हमारे मध्यप्रदेश की बुन्देलखण्ड धरा की जिला छतरपुर अन्तर्गत जनपद पंचायत राजनगर की ग्राम पंचायत सूरजपुरा की बात कर रहे है आइये जानते है कि कैसे इस ग्राम पंचायत ने विकास की ओर बढ़ते हुये अनुठें कदम उठा रही है इस ग्राम पंचायत की खास बात यह है कि इस ग्राम पंचायत मे आदिवासी जनजाति का वाहुल्य क्षेत्र है और इस ग्राम पंचायत आदिवासी लोग जो कि बहुत समय पहले पन्ना जिले के कनेरी गांव से आकर यहां विस्थापित हुये थे। इस ग्राम पंचायत के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने से यहां के ग्राम वासी न ही शिक्षित थे और न ही जागरूक थे जिससे यहां पर विकास कार्य एवं शासन की योजनाओं का सार्वजानिक एवं निजी क्रियान्वयन करने में काफी दिक्कत हो रही थी जिससे गांव के निचले हिस्से तक किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा था और न ही यहां पर शिक्षा का स्तर एवं स्वास्थ्य सेवायें मजबूत थी एवं यह ग्राम पंचायत काफी पिछड़ी हुयी भी थी।

इस गांम पंचायत में लगभग 1593 परिवार रह रहे है जिसमें 3576 कुल मतदाता है इस ग्राम में 1878 पुरूष एवं 1698 महिलायें है यहां की जनसंख्या इतनी होने के बावजूद भी विकास की गति बहुत धीमी थी यहां के आदिवासी लोग झुग्गी झोपड़ी बना कर रह रहे थे जिसके कारण इन लोगो को बरसात के मौसम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था इसी बीच एक दिन सरपंच सचिव एवं जीआरएस के माध्यम से एक सामान्य बैठक ग्रामवासियों के साथ की गई और जिन परिवारों को आवासो की सक्त आवश्यकता थी ऐसे परिवारों को चिन्हांकित कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया इस ग्राम पंचायत की कनेरी पुरवा में विस्थापित आदिवासी परिवारों को एक लाईन से 32 मकान निर्माण करवाकर के रहने के लिये दिये गये है ताकि उन्हे झुग्गी झोपड़ी से छुटकारा पा सके और अपने लिये सिर पर छत का सपना पूरा हो गया । इस ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत लगभग 776 आवास बना कर पूर्ण हो चुके है ।

इन परिवारों को आवासो के साथ–साथ शासन की योजनाओं का लाभ जैसे निशुल्क राशन शौचालय निर्माण जननी सुरक्षा योजना निशुल्क शिक्षा व्यवस्था का लाभ दिया जा रहा है पहले यहां पर शिक्षा का स्तर प्राइमरी स्कूल तक ही सिमित था जिससे गांव के बच्चों को गांव से बाहर 8–10 किलोमीटर तक दूर जाना पडता था एवं बालिकाओं के लिये शिक्षा लेना एक चुनौती पूर्ण था परन्तु अब यहां पर हायर सेकेन्डरी तक शिक्षा का विस्तार हो चुका है अब बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा हेतु गांव के बाहर नहीं जाना होता है इस विधालय में सभी विषय के शिक्षक भी उपलब्ध है जिससे बच्चों को शिक्षा के साथ–साथ मौलिक एवं नैतिक कर्तत्वो का ज्ञान भी शिखाया जाता है साथ ही बच्चों के शारिरिक एवं मानसिक विकास के लिये खेलने के लिय पर्याप्त मैदान है।

इसी के साथ इस ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्य किया गया है इस ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र है जिसमें समय–समय पर बच्चों को टीकाकरण, किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के बारे में जागरूक करना एवं अन्य स्वस्थ्य मोबाइल सेवाये साथ ही जननी सुरक्षा योजना की सुविधा है ।

इस प्रकार के कार्यों को करने से इनके जीवन में काफी बदलाव देखने को मिला एवं इनके जीवन शैली में काफी सुधार देखने को मिला है।

इस ग्राम पंचायत के कैन नदी के किनारे दिवारी घाट पर प्राचीन चंन्देल समय का भगवान शिवजी का मंदिर था जो की काफी प्राचीन होने के कारण जीन सीर्ण अवस्था में था जिसके जीर्णोद्धधार के

लिये ग्राम पंचायत के सरपंच श्री चन्द्र भान यादव जी सचिव श्री संजय मिश्रा जी एवं रोजगार सहायक श्री भुमानीदीन आदिवासी जी के कुशल कार्यशैली से ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव रखा की इस प्राचीन शिव मंदिर की जीर्णोद्धधार के लिये कार्य किया जाये। इस ग्राम पंचायत के सहयोग से वर्ष 2022 में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनटाईड फण्ड से लगभग 5 लाख रूपये की लागत से मंदिर का जीर्णोद्धधार एवं बोउन्ड्री वॉल का निर्माण कार्य करवाया गया जो कि आज के समय में प्राचीन शिव मंदिर एक आकर्षक पर्याटन स्थल बन गया है इस मंदिर का लोकार्पण माननीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री विष्णुदत्य शर्मा द्वारा किया गया एवं महोदय द्वारा इकोटूरिज्म से जोडने की पहल की गयी जिससे लोगो को रोजगार मिलने के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में बदलाव आया है ।

इसी के साथ ग्राम पंचायत सूरजपुरा में ई ग्राम पंचायत भवन का भी निर्माण हुआ है इस ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव, एवं जीआरएस के लिये पृथक–पृथक कक्ष एवं ग्राम पंचायत में बैठक के लिये कॉन्फ्रन्स हॉल इन्टनेट वाईफाई सुविधा एवं सीएससी सेन्टर भी बनाये गये है जिससे गांव के लोगों को ऑनलाइन कार्यो के लिये गांव के बाहर शहर की ओर लगभग 15 किलोमीटर जाना पडता था जिससे उनका समय अर्थ एवं थकान होती थी जिससे अब यह सुविधा होने से बाहर नहीं जाना पडता है और गांव में ही रह कर ऑनलाइन कार्यो को सम्पन कर लेते है जिससे गांव के लोगो को आने जाने की समस्या समय एवं अर्थव्यवस्था की बचत हो रही है एवं गांव में ही कियोश्क सेनटर होने से बैंकों के काम एवं लेनदेन की सुविधा भी ग्रामवासियों को आसान हो गई है।

इसी के साथ ही ग्राम पंचायत में पंचायत को आर्कषक एवं युवाओं को आगे लाने के लिये ग्राम पंचायत के मैन गेट में एक सैल्फी प्वाइट आई लव सूरजपुरा का निर्माण कराया गया है जो की आज के समय में लोगो के लिये यह आर्कषण का केन्द्र बना हुआ है जिससे गांव के लोगो में उत्साह एवं स्वयं के ग्राम पंचायत की पहचान एवं आज के युवाओ का रूझान सैल्फी प्वाइट को लेकर रहता है जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा ग्राम पंचायत में आये एवं ग्राम पंचायत के सकारात्मक विकास के लिये अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अपनी भुमिका का निर्वाहन करने हे साथ–साथ सहभागिता दे सके और यह ग्राम पंचायत विकास के अनूठें पहल की तरफ लागातार ऐसे ही प्रयासरत रहेगी इसी आसा के साथ.....

'' सबका साथ सबका विकास

तभी होगा गांव का विकास ''

लवली मिश्रा
संकाय सदस्य

कम समय में बड़ा मुनाफा

बकरी पालन से लामूलाल ने कमाए 80 हजार रूपये

लामूलाल ने कभी सोचा नही था कि उसके थोड़े से निवेश से कम समय में ही बड़ा मुनाफा हो सकता है। सोचता भी कैसे, उसके पास बड़ी पूंजी नही थी। लेकिन मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना में उसे मिली 10 हजार रूपए की राशि ने उसे कुछ करने को प्रेरित किया।

उसने बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ किया। इससे उसे मात्र एक साल में ही 80 हजार रूपए का मुनाफा हो गया है। लामूलाल अपने इस नए व्यवसाय से बहुत खुश है और उसे अब आगे बढ़ाने की सोचने लगा है।

जिला बालाघाट में आदिवासी अचल के परसवाड़ा जनपद पंचायत के ग्राम झांगुल निवासी लामूलाल यादव के पास एक एकड़ की खेती है। लामूलाल ने बताया कि वह एक एकड़ की खेती से अपने परिवार का किसी तरह से गुजारा करता था। कोरोना काल में एक दिन वह जनपद परसवाडा गया हुआ था, वहां के एक कर्मचारी ने उसका नाम एवं बैंक खाता लेकर उसे खाते में मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के तहत 10 हजार रूपए की राशि जमा करवाई। बस यही से लामूलाल के लघु उद्योग की शुरूवात हुई।

ऐसे शुरू किया बकरी पालन

योजना के तहत प्राप्त राशि बिना ब्याज की थी लामूलाल ने बताया कि पहले तो उसे कुछ समझा नहीं आ रहा था कि इस राशि का वह क्या करें। एक माह के बाद उसके खाते से किश्त की राशि कटने लगी तो उसे समझ आ गया। कि 10 हजार रूपए की राशि किश्तों में उसके खाते से कट जाएगी। उसने सोचा की क्यों न इस राशि का कुछ उपयोग किया जाए। लामूलाल ने 10 हजार रूपए की राशि एवं अपने पास की जमा 7 हजार रूपए की राशि से 03 नग बकरियां खरीदी और व्यवसाय शुरू किया।

10 हजार से बनाए 80 हजार

लामूलाल ने बताया कि बकरियों का छह माह का प्रजनन काल होता है। प्रति नग बकरी छह–छह माह में दो से तीन बच्चों (मेमनों) को जन्म देती है। मात्र 12–14 माह में ही लामूलाल के यहां पर बकरियों की संख्या तेजी से बढी। उसने इनमें से 20 बकरियों को बेच दिया, तो उसे 80 हजार रूपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। लामूलाल के पास 10 बकरियां और है। उसे पूरा यकीन है कि अगले एक वर्ष में वह बकरी पालन से डेढ़ लाख रूपए जरूर कमा लेगा।

अब युवाओं को कर रहा प्रेरित

लामूलाल यादव ने बताया की मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना से उसके दिन बदलने लगे है। उसके पास कभी 80 हजार रूपए की बड़ी रकम नहीं आई थी। लेकिन पास में बड़ी रकम आने से उसकी सोच भी बदलने लगी है और वह गांव के युवाओं को भी प्रेरित करने लगा है कि आत्म निर्भर बनने के लिए कुछ काम करें।

डॉ. विनोद सिंह,
संकाय सदस्य

आयुष्मान भारत (निरामय) योजना में सराहनीय कार्य

ग्राम पंचायत नटेरन जिला विदिशा के ग्राम रोजगार सहायक श्री रवि नागर को 100 प्रतिशत आयुष्मान कॉर्ड बनाने पर जिला वरिष्ठ अधिकारी डॉ. हंसा शाह द्वारा सम्मानित किया गया । विदिशा जिले में आयुष्मान कॉर्ड बनाने का कार्य अभियान चलाकर किया जा रहा है। इस अभियान को प्राथमिकता से श्री रवि नागर प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य करते हुयें। प्रतिदिन 50 से 80 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा। जिससे 100 प्रतिशत आयुष्मान कॉर्ड बनाने में सफल हुए। जीआरएस श्री नागर प्रातः 6 बजे से ही अपने लैपटॉप के साथ वंचित पात्र हितग्राहियों के घर घर पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया हैं। उन्होंने बताया कि वह ग्राम पंचायत नटेरन और घटवाई के नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं।

श्री रवि नागर ने बताया कि उन्होंने अभियान अंतर्गत अभी तक 500 से 600 कार्ड बनाए हैं। जिनमें कृषि कार्य करने वाले एवं मजदूर वर्ग शामिल है।

योजना का शुभारंभ एवं पात्रता की जानकारी

आयुष्मान भारत योजना के तहत निरामयम का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया है। इस योजना के तहत चिंहित परिवारों को सदस्यों को पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा का लाभ

मिलेगा। इस योजना के तहत जिले में 52 हजार 276 ग्रामीण एवं 23 हजार 868 शहरी परिवारों को चिंहित कर लिया गया है। वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक, जातीय आधार पर हुई जनगणना के आधार पर इस योजना के तहत परिवारों को चिंहित किया गया है।

निरामयम में 1350 सेवाएं शामिल की गई हैं। जिला स्तर पर 136 सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत आरोग्यम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना में 2011 की जनगणना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के अलावा मुख्यमंत्री संबल योजना के लाभार्थी परिवार, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पर्ची धारक परिवार भी लाभ लेने के हकदार होंगे। इन्हें चिंहित शासकीय अस्पतालों, मेडिकल कालेजों एवं चिंहित निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधाएं मिलेंगी। पीड़ितों को जिला अस्पताल में जांच कराना होगी। यदि उपचार सरकारी अस्पताल में संभव होगा तो पीड़ित को भर्ती कर लिया जाएगा और यदि इलाज किसी सरकारी या प्राइवेट बड़े अस्पताल में संभव होगा तो वहां के लिए रैफर कर दिया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत कियोस्क बनाया गया है तथा आयुष्मान मित्रों की भी नियुक्ति की गई है। इनकी मदद से पात्र परिवार आयुष्मान कॉर्ड बना सकेंगे एवं शासन की योजना का लाभ ले सकेगें।

चंद्रकांत सिंह,
संकाय सदस्य

गरीबी उन्मूलन में स्वच्छ भारत मिशन की भूमिका

भारत गांवों का देश है। राष्ट्रीय की अधिकांश आबादी ग्रामों में निवास करती है, किन्तु अक्सर सुनने में आता रहता है कि अमुक गांव में हैजा ने महामारी का रूप ले लिया तथा डायरिया, डिसेन्टी आदि बीमारी तो नित्य के जीवन क्रम का हिस्सा सा बन गई है। कभी–कभी तो मृत्यु भी हो जाया करती है। देखने में आता है कि जो बीमारियां स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं, अधिकांशतः बीमारियां अस्वच्छ वातावरण में रहने की वहज से ही होती हैं। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के लिये समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किये जाते रहे हैं। इस हेतु पहला प्रयास 1989 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, तदन्तर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान व निर्मल भारत अभियान आदि योजनायें भी चलाई गई। किन्तु स्वच्छता का उद्देश्य दूर की कौड़ी बना रहा। 2 अक्टूबर 2014 को देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान नाम से एक अभिनव व सशक्त प्रयास प्रारंभ किया गया। जिसके अंतर्गत सबसे अधिक जोर खुले में शौच प्रथा को समाप्त करने पर दिया गया हैं।

इस अभियान में सम्पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान में स्वच्छता इस पहलू पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार स्वच्छता की स्थिति प्राप्त होने पर स्वास्थ्य की स्थिति में न केवल स्वास्थ्य में सुधार होगा वल्कि धन की भी बचत होगी। अस्वच्छता के कारण कई प्रकार की बीमारियां होती है। जिनसे धन व समय की भारी हानि होती हैं और आदमी गरीबी के दुःश्चक्र में फंस जाता हैं। यदि हम इस समग्र स्वच्छता की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो बीमारियों के कारण होने वाली स्वास्थ्य व धन दोनों की बर्वादी रोकी जा सकती हैं। इसमें न केवल चिकित्सा पर पैसा खर्च होता है बल्कि स्वास्थ्य खराब होने से व्यक्ति अपना कार्य भी नहीं कर पाता है जिससे आय प्रभावित होती है तथा परिवार के आवश्यक खर्चों के लिये भी ऋण लेना पड़ता है जिससे परिवार गरीबी के जाल में फंस जाता हैं। इस प्रकार स्वच्छता अभियान की गरीबी

हटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। गंदगी के कारण होने वाली बीमारियां कई प्रकार की होती है। जिनमें वॉटर वोर्न डिसीज प्रमुख होती हैं यानि गंदें पानी से होने वाली बीमारियों में हैजा आदि प्रमुख हैं। जिससे बहुत जन–धन की हानि व समय का अपव्यय होता हैं। जिसमें गरीबी और बढ़ती चली जाती है। इसके अतिरिक्त खुले में शौच जाने से मक्खी आदि के द्वारा जो मल संचरण होता है जिसके कारण डायरिया, डिसेन्ट्री पेट दर्द, उल्टी आदि प्रमुख बीमारी होती है। जिससे काफी जन–धन व समय की हानि होती है। अतः यह कहा जा सकता हैं कि गंदगी के कारण जन–धन व समय की काफी बर्वादी होती है व गरीबी बढ़ती चली जाती है। यदि हम स्व्च्छता पर ध्यान देंगे तो इस प्रकार होने वाली जन–धन व समय की हानि से बचा जा सकता है। अतः सार रूप में यह कहा जा सकता हैं कि सम्पूर्ण स्वच्छता होने पर व्यक्ति अधिक आय अर्जित करने में सक्षम होगा। तथा चिकित्सा पर होने वाली व्यय बहुत कम हो जायेगा। जिससे गरीबी उन्मूलन में बहुत सहयोग प्राप्त होगा।

स्वच्छ भारत मिशन न केवल हाइजिनिक वातावरण निर्माण करने पर जोर देता है बल्कि व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी जोर देता है। और यह भी एक कटु सत्य है कि अधिकांश बीमारियों की जड़ गंदगी ही होती है। अतः स्वच्छ भारत मिशन में बीमारियों से बचाकर हमारे समय, स्वास्थ्य धन सभी की रक्षा करता हैं। जिससे हम पूर्ण स्वस्थ रहकर अपना कार्य पूर्ण मेहनत व लगन से कर सकते हैं। जो अधिक आय अर्जित करने में सहायक होगा और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। अतः यह कहा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन की गरीबी उन्मूलन में अति महत्वपूर्ण भूमिका है।